☎ फोन : 0542–2276339,
–2276975,
–2275827

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

दक्षिणी जोन

भेलूपुर, वाराणसी–221010

प्रेषकः– अधिशासी अभियन्ता (द. जोन)

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी.

संख्या– / ।।/दक्षिणी जोन/ज.क.न.नि.वा. दिनांक..................2018

विषय– आराजी भूखण्ड संख्या– 445, मौजा– ककरमत्ता, परगना– देहात अमानत, वार्ड– नगवां, वाराणसी का मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या– 20/17आ0/विन्यास/वि0प्रा0/017,018 दिनांक–: 28/11/2017 द्वारा आराजी भूखण्ड संख्या– 445, मौजा– ककरमत्ता, परगना– देहात अमानत, वार्ड– नगवां, वाराणसी पर श्री अमर नाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या बगैरह का मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा गया था। इस सम्बन्ध में भवन स्वामी द्वारा विकास शुल्क (जल) एवं विकास शुल्क (सीवर) कुल रू0 1,55,754.00 रसीद संख्या 14070/34 दिनांक 22/01/2018 द्वारा जलकल विभाग कोष में जमा कर दिया गया।

अतः आराजी भूखण्ड संख्या– 445, मौजा– ककरमत्ता, परगना– देहात अमानत, वार्ड– नगवां, वाराणसी का मानचित्र के अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के साथ दिया जाता है –:

1. भवन स्वामी को सीवर कनेक्शन अपने नीजी व्यय पर नियमानुसार विभागीय शुल्क जमा करते हुए न्यूनतम डाया 12"ɸ का मुख्य सीवर लाइन में मिलाना होगा। कार्य जलकल के अधिकृत प्लम्बर के माध्यम से किया जायेगा।
2. भूखण्ड स्वामी को पेयजल की व्यवस्था स्वयं के साधन से करनी होगी।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता (द. जोन)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

पृ0सं0:– 926/ ।।/दक्षिणी जोन/ज.क.न.नि.वा. दिनांकः–22/ / /2018
प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, वाराणसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. भवन/भूखण्ड स्वामी पर श्री अमर नाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या बगैरह आराजी भूखण्ड संख्या– 445, मौजा– ककरमत्ता, परगना– देहात अमानत, वार्ड– नगवां, वाराणसी को सूचनार्थ।

22/01/18

अधिशासी अभियन्ता (द. जोन)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई-3(बी)/2018 दिनांकः जनवरी, 10, 2018

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषयः एसएम प्लाट संख्याः 445, मौजा-ककरमत्ता, वार्ड-नगवा, परगना-देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी स्वामी श्री अमरनाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, लाल बहादुर पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, अनूप नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अरुण नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अजय कुमार मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या एवं कमला देवी पत्नी स्व0 नारायण मौर्या के प्लाट पर मेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निमार्ण हेतु भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः मेसर्स के आवेदन पत्र दिनांकः 09.01.2018 व यू0आई0डी0 नं0 2018/39563/vns/varanasi/253/cfo दिनांकः 09.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रस्तावित स्थल एसएम प्लाट संख्याः 445, मौजा-ककरमत्ता, वार्ड-नगवा, परगना-देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी स्वामी श्री अमरनाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, लाल बहादुर पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, अनूप नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अरुण नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अजय कुमार मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या एवं कमला देवी पत्नी स्व0 नारायण मौर्या द्वारा के प्लाट परमेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निमार्ण के सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र के कम में प्रस्तावित स्थल का जीव रक्षा एवं अग्निशमन सुरक्षा की दृस्टिकोंण से मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी द्वारा किया गया प्राप्त उनकी आख्या दिनांकः 09.01.2018 एवं अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-

CFO VNS

1-कुल प्लाट एरिया-2207.76 वर्गमीटर।
2-प्रस्तावित स्टिल्ट तल का कुल कवर्ड एरिया-866.60 वर्गमीटर, दुकान का कवर्ड एरिया-15.00 वर्गमीटर, कामन हाल का कवर्ड एरिया-107.67 वर्गमीटर।
3-प्रथम तल से पॉचवे तल प्रत्येक तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया-827.05 वर्गमीटर।
4-छठवें तल से सातवें तल प्रत्येक तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया-577.80 वर्गमीटर।
5-भवन की प्रस्तावित उँचाई-24.00 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः-प्रस्तावित भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी एन.बी.सी. की ग्रुप ए के सब डिवीजन ए-4 अपार्टमेन्ट हाउसेज की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1-पहुँच मार्गः-प्रस्तावित भवन के भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 15.00 मीटर रोड की चौडाई है।
2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-प्रस्तावित भवन में प्रवेश द्वार की चौडाई 8.25 मीटर है जो मानक के अनुसार है।
3-सेटबैकः-प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत हैः-

ए- अग्रभाग-6.26 मीटर।
बी-पृष्ठभाग-6.00 मीटर।
सी-पार्श्वभाग प्रथम-6.00 मीटर।
डी-पार्श्वभाग द्वितीय-6.10 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगें। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

---2/पर

Scanned by CamScanner

4—निकास मार्गः—प्रस्तावित भवन में दो आन्तरिक स्टेयर केस प्रत्येक की चौडाई 1.52 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था— नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य हैः—

1—होजरीलः—प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.—3844 के मानकों के अनुरुप कराया जाय।

2—डाउनकमर सिस्टमः—प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के मानकों के अनुरुप कराया जाय।

3—हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः— मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के मानकों के अनुसार कराया जाय।

6—टैरेस टैंकः—प्रस्नगत भवन के टैरेस पर 25,000 ली0 क्षमता का टैरेस टैंक केवल अग्निशमन कार्य हेतु स्थापित कराया जाय।

7—टैरेस पम्पः—प्रस्नगत भवन के टैरेस टैंक के पास टैरेस पम्प क्षमता 900 एलपीएम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाय।

8—प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः—प्रस्तावित भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.—2190 के मानक के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाय।

9—स्मोक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टमः—

ए—फायर चेक डोर, स्मोक चेक डोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घण्टा।

बी—स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए पूरे भवन में एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विष्लेशण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

10—एक्जिट साइनेजः—भवन निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाय।

11—पी0ए0 सिस्टमः—पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में किया जाय।

12—प्रस्तावित भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्तानुसार एसएम प्लाट संख्याः 445, मौजा—ककरमत्ता, वार्ड—नगवा, परगना—देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी स्वामी श्री अमरनाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, लाल बहादुर पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, अनूप नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अरुण नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अजय कुमार मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या एवं कमला देवी पत्नी स्व0 नारायण मौर्या के प्लाट पर मेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निमार्ण हेतु भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं यथा संशोधित 2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कराकर अधिवासित होने से पूर्व अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/स्वामी/प्रबन्धक की स्वयं की होगी।

उपरोक्त शर्तो का पालन नही किये जाने पर भवन निर्माण हेतु निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र,

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

10 JAN 2018

प्रतिलिपिः—

1. अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांकः09.01.2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आवेदक श्री शाश्वत उपाध्याय मेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा एसएम प्लाट संख्याः 445, मौजा—ककरमत्ता, वार्ड—नगवा, परगना—देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी पर प्रस्तावित स्टिल्ट+1 से 7 तलों तक प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निमार्ण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

Scanned by CamScanner